विशेष अभियान
प्राथमिकता

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– अवमानना प्रकरण क्रमांक 274/2013 नीलेश सिंघल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन– निःशक्तजनों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति।

संदर्भः– इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 फरवरी, 2014 एवं 21 मई, 2014.

:::::

अवमानना प्रकरण में न्यायालयीन निर्णय के परिपेक्ष्य में संदर्भित विभागीय परिपत्र दिनांक 22.02.2014 एवं 21.05.2014 द्वारा निःशक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु चलाये जा रहे विशेष भरती अभियान के तहत वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से दिनांक 14 अगस्त, 2014 तक करने के निर्देश जारी किये गये है। सामाजिक न्याय विभाग की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है कि अनेक विभाग/कार्यालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के आरक्षण के आधार पर विज्ञापित किए जा रहे हैं, जबकि निःशक्तजनों का आरक्षण वर्गवार नहीं होता। निःशक्तजन किसी भी वर्ग का हो सकता है।

2/ इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निःशक्तजनों के लिए 06 प्रतिशत हॉरिजेण्टल आरक्षण दिया गया है और उसमें भी अस्थि बाधित, दृष्टि बधित एवं श्रवण बाधित के लिए 02–02 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 31 मार्च, 2005 जारी करते हुए पूर्व में आरक्षित किए गए रोस्टर के बिन्दुओं को निरस्त करते हुए तीन खण्ड

बनाये गये हैं। अतः निःशक्तजनों के जो भी पद विज्ञापित किए जाए वह वर्गवार न होकर निःशक्तजनों की श्रेणीवार (अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित) हो। इस प्रक्रिया में जिस वर्ग के उम्मीदवार चयनित होंगे, उन्हें रोस्टर में संबंधित वर्ग के रिक्त बिन्दुओं पर अंकित किया जाएगा। हॉरिजेण्टल आरक्षण में वर्गवार प्रतिनिधित्व देना आवश्यक नहीं है, किन्तु वर्टीकल आरक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग के आरक्षण को बनाये रखना आवश्यक है। इसमें कोई भी आरक्षित वर्ग के पद को किसी अन्य श्रेणी से भरने की अनुमति नहीं है।

3/ निःशक्तजनों के जिला स्तरीय संवर्ग के पदों की पूर्ति करने हेतु चयन समिति में सामाजिक न्याय विभाग के उप संचालक को और राज्य स्तरीय पदों की चयन समिति में संचालनालय, सामाजिक न्याय के अधिकारी को शामिल किया जाए।

4/ उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ–8–2/2013/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 30 जून, 2014

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
4. सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
9. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
10. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, भोपाल।

11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता,मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
13. पुलिस महानिरीक्षक (चयन), पुलिस मुख्यालय, भोपाल।
14. आयुक्त, निःशक्तजन मध्यप्रदेश, कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी.नगर, भोपाल ।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
16. आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग, तुलसी नगर, भोपाल।
17. आयुक्त, जनसंपर्क मध्यप्रदेश भोपाल।
18 अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आर.के.गजभिये)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग